

प्रतीक्षा समाप्त, आगरा महायोजना-2031 का शासन ने किया अनुमोदन

- खुलेंगे चौतरफा विकास के रास्ते, बढ़ेगा निवेश,
- औद्योगिक पार्क, लॉजिस्टिक पार्क, मेगा टाउनशिप, हस्तशिल्प ग्राम, मेगा एमएसएमई क्लस्टर, आयुष पार्क, हैंडिक्राफ्ट सिटी, नॉलेज सिटी, मेडीसिटी आदि जैसी महत्वाकांक्षी परियोजनाओं पर होगा कार्य,
- शहर में विविध आर्थिक गतिविधियों, नदियों व जलीय संरचनाओं के विकास, पर्यटन को बढ़ावा देने तथा आमजन को सहूलियत देने की कई योजनाओं को किया गया है शामिल,
- जीआईएस आधारित महायोजना से नक्शे पास होने व नई प्लानिंग में होगी सुविधा, अवैध निर्माणों पर लगेगा अंकुश

बहुप्रतीक्षित आगरा मास्टर प्लान को आखिरकार शासन की स्वीकृति सोमवार को प्राप्त हो गई। आवास एवं शहरी नियोजन विभाग के प्रमुख सचिव, पी० गुरुप्रसाद के 24 मार्च, 2025 के शासनादेश द्वारा प्राधिकरण को इस आशय की सूचना प्रेषित की गई है। इसी के साथ लगभग 05 वर्षों से अधिक समय से प्रचलित मैराथन प्रक्रिया का पटाक्षेप हो गया।

उल्लेखनीय है कि वर्ष 2019-20 से स्थलीय जीआईएस सर्वे का कार्य प्रारम्भ होने के बाद, प्रथम ड्राफ्ट जनवरी-2022 में प्रकाशित किया गया था। ड्राफ्ट बनने की प्रक्रिया में विभिन्न हितधारकों, निर्यातकों, उद्यमियों, शिक्षाविदों, जनप्रतिनिधियों तथा विभिन्न शासकीय विभागों के साथ प्राधिकरण द्वारा अनगिनत बैठकों का आयोजन किया गया। जनवरी-मार्च 2022 के समय जनसामान्य से आपत्ति सुझाव माँगे गये। कुल 603 आपत्ति/सुझाव प्राप्त हुए, जिनका निस्तारण करने के बाद वर्ष 2023 में प्राधिकरण बोर्ड द्वारा महायोजना का अंतिम ड्राफ्ट अनुमोदित किया गया। जनवरी-2023 व फरवरी-2024 में शासन स्तर पर दो बार उपाध्यक्ष द्वारा मास्टर प्लान का प्रस्तुतीकरण शासकीय समिति को किया गया। शासकीय समिति के तकनीकी सुझावों का समायोजन करते हुए प्राधिकरण बोर्ड द्वारा महायोजना को जून-2024 में स्वीकृति हेतु भेजा गया था। शासन स्तर पर कई दौर की बैठकों के पश्चात मा०मुख्यमंत्री जी के अनुमोदनोपरांत शासन द्वारा अब स्वीकृति जारी की गई है।

आगरा विकास प्राधिकरण की स्थापना के पश्चात् पहली महायोजना वर्ष 1971 से वर्ष 2001 तक प्रभावी थी, दूसरी महायोजना-2021 वर्ष 2004 में लागू हुई, जो वर्तमान तक प्रभावी थी। प्राधिकरण के मूल विकास क्षेत्र में नगर निगम एरिया सहित कुल 158 राजस्व ग्राम सम्मिलित हैं तथा विकास क्षेत्र लगभग 541 वर्ग किमी० में फैला है।

मास्टर प्लान-2031 में विकास क्षेत्र की कुल जनसंख्या 32 लाख अनुमानित की गई है। महायोजना में लगभग 37615 हे० नगरीकृत क्षेत्र चिह्नित किया गया है, जिसमें लगभग 44.68% क्षेत्र आवासीय, 5% से अधिक औद्योगिक, लगभग 19.27% हरित पट्टी/हरित क्षेत्र/पार्क/मनोरंजन पार्क, यातायात/परिवहन हेतु लगभग 8.28%, सामुदायिक सुविधाओं एवं पर्यटन हेतु लगभग 10.15%, लगभग 3.84% क्षेत्र व्यवसायिक तथा अन्य उपभोग यथा-सीवेजफार्म, संरक्षित स्थल, निषिद्ध क्षेत्र, नदी/नाला/तालाब/पोखर/जलाशय/शमशान/कब्रिस्तान इत्यादि हेतु लगभग 7.21% रखा गया है।

उपाध्यक्ष द्वारा मास्टर प्लान को जनहित में दिशा देने हेतु विशेष रूप से तत्कालीन मण्डलायुक्त एवं वर्तमान मण्डलायुक्त शैलेन्द्र कुमार सिंह का धन्यवाद दिया गया, जिनके नेतृत्व में प्राधिकरण बोर्ड द्वारा व्यापक विचार-विमर्श व चर्चाओं के बाद मास्टर प्लान का जो अनुमोदन किया उसे शासन स्तर पर भी अन्तिम रूप से सराहा गया। उपाध्यक्ष द्वारा बताया गया कि आगरा मास्टर प्लान-2031 को आगरा विजन प्लान (सिटी डेवलपमेंट प्लान-2051) के साथ एकरूपता स्थापित करते हुए बनाया गया है।

मास्टर प्लान की प्रति आमजन के अवलोकनार्थ प्राधिकरण कार्यालय, प्राधिकरण की वेबसाइट, व समाचार विज्ञप्ति के माध्यम से उपलब्ध कराई जा रही है।



